न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, चूरू
पीठासीन अधिकारी श्री बिजेन्द्रसिंह, आर.ए.एस.

नम्बर मुकदमा	किस्म मुकदमा	ता0 दायरा	निर्णय तिथि
46/2017	प्रा0पत्र 212 RTA	21.12.2027	27.05.2025

1. निहारिका उर्फ कल्पना पुत्री हरिराम जाति जाट निवासी रामदेवरा तहसील व जिला चूरू (राज) नाबालिग जरिये संरक्षक माता ममता पत्नी हरिराम जाति जाट निवासी रामदेवरा तहसील व जिला चूरू राज. हाल निवासी पीपल बास तहसील मलसीसर जिला झुंझुनु राजस्थान

–प्रार्थीगण–

बनाम

1. हरिराम पुत्र निराणाराम जाति जाट निवासी रामदेवरा तहसील व जिला चूरू राज.
2. उप पंजीयक महोदय, चूरू, तहसील व जिला चूरू राज.
3. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार चूरू तहसील व जिला चूरू राज.

–अप्रार्थी–

प्रा0पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए.

उपस्थित – 1. अधिवक्ता श्री षिवगौतम सोलंकी प्रार्थीगण
2 अधिवक्ता श्री संजय सिहाग अधिवक्ता अप्रार्थीगण

आदेश

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी.ए. का पेश कर निवेदन किया कि कृषि भूमि खतरा नम्बर 38 तादादी 0.9106 हेक्टेयर, खसरा नम्बर 671/19 तादादी 23649 हैक्टेयर खसरा नम्बर 673/326 तादादी 0.5009 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 676/225 तादादी 3.1742 कुल किला 4 कुल तादादी 6.9556 हेक्टेयर अर्थात 27 बीघा 10 विश्वा (560 बिस्वा) रोही रामदेवरा तहसील व जिला चूरू में स्थित हैं जो कि प्रार्थीनी व अप्रार्थी सख्या – 01 की खातेदारी वा कब्जा काश्त की कृषि भूमि है, जिसके प्रमाण स्वरूप जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 की प्रमाणित प्रतिलिपी दावा हाजा के साथ प्रस्तुत की जा रही है।

यहकि कृषि भूमि खसरा नम्बर हाल 19, 38. 225, 328 जिसका पुराना अर्थात साबिक खसरा नम्बर 17, 139. 138 है. जिसका पुराना अर्थात साबिक खसरा नम्बर 17, 139, 138 है. जिसके प्रमाण स्वरूप मिलान क्षेत्रफल दाया हाजा के साथ प्रस्तुत की जा रही हैं।

यहकि कृषि भूमि प्रार्थीनी के दादा पड़–दादा के पूर्वजों के समय से प्रार्थीनी के परिवार में पैतृक रूप से संयुक्त हिन्दू परिवार की सहदायिकी सम्पति के रूप से आज तक चली आ रही है। जो परिवार की पीढी का कुर्सीनामा निम्न प्रकार है—

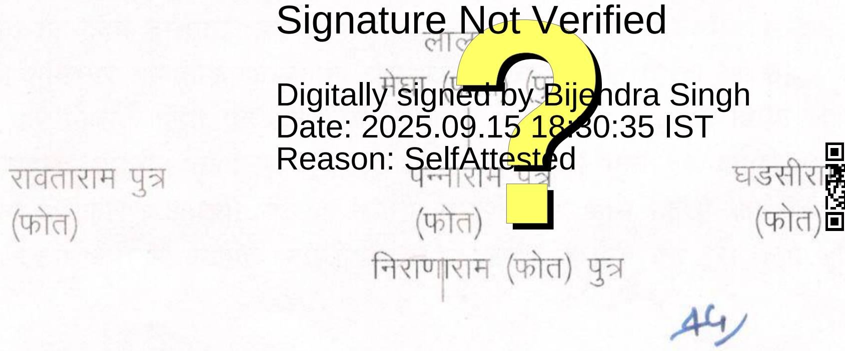

Signature Not Verified

Digitally signed by Bijendra Singh
Date: 2025.09.15 18:30:35 IST
Reason: SelfAttested

दीपाराम गौरधन हरिराम
पुत्र पुत्र पुत्र

निहारिका उर्फ कल्पना (पुत्री)

यहकि वादी का परिवार हिन्दू विधि की मिताक्षरा में शासित हिन्दू धर्म को मानने वाले है। कृषि भूमि पानी की दादालाई पैतृक सम्पति है। जो प्रार्थीनी के पिता के कब्जे का उपयोग उपभोग में चली आ रही है। जिसकी खातेदारी पहले प्रार्थीनी के दादा के दादा लाला के नाम दर्ज चली आ रही है। जो कि मिसल बन्दोबस्त सम्वत् 2001 में स्पष्ट है उसके बाद लाला के पुत्र मेधा के नाम जमाबंदी सम्वत् 2010 –2011 में नाम दर्ज है फिर मेघा के पुत्र रावताराम पन्नाराम व घडसीराम के नाम जमाबंदी सम्वत् 2024 से 2027 में इंतकाल संख्या 67 में खातेदारी दर्ज हैं। बाद पन्नाराम के पुत्र निराणाराम की खातेदारी जमाबंदी सम्वत् 2038–2041 में खातेदारी दर्ज हुई निराणाराम की मृत्यु के बाद उसके पुत्रो में उक्त कृषि भूमि खातेदारी दर्ज जिसके प्रमाण स्वरूप वर्तमान जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 की प्रमाणित प्रति दावा हाजा के साथ पेश है। उक्त खातेदारी कृषि भूमि प्रार्थीनी के पिता हरिराम की खातेदारी की है तथा यह कृषि भूमि जो पैतृक है, जिस कारण प्रार्थीनी का बाई बर्थ हिस्सा सदभाविक के रूप में है। इस प्रकार से वादगत 1/2 हिस्सा भूमि बनती है जो कि दादालाई सम्पति होने के कारण से है तथा इस वादगत कृषि भूमि पर पार्थीनी एवं अप्राथर्थी सं. 01 का संयुक्त कब्जा काश्त वा उपयोग उपभोग चला आ रहा है। इस प्रकार प्रार्थीनी का सम्पूर्ण कृषि भूमि में अपाथी सं. 01 के नाम से सम्पूर्ण खातेदारी दर्ज है। उसमें प्रार्थीनी 1/2 हिस्सा भूमि खातेदारी का कब्जा काश्त है तथा अप्रार्थी से 01 का भी इस वादगत कृषि भूमि में मात्र 1/2 हिस्सा खातेदारी का बनता है तथा ऐसी घोषणा किये जाने हेतु यह घोषणात्मक चिरस्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश किया जा रहा है।

यहकि वादगत कृषि भूमि में अपार्थी से 01 का मात्र 1/2 हिस्सा खातेदारी का बनता है। पैतृक कृषि भूमि होने के कारण अप्रार्थी से अपना हिस्सा किसी को बैचान, गिफ्ट, दान आदि करने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है, क्योंकि अप्रार्थी सं. 01 के साथ प्रार्थीनी का भी इस कृषि भूमि मे जन्म से अर्थात् बाई बर्थ हिस्सा बनता है तथा प्रार्थीनी के हिस्से को किसी अन्य व्यक्ति को देने का कोई अधिकार प्राप्त नहीं है और प्रार्थीनी को अपना हिस्सा पांति अलग कायम करवा चाहती हैं जिसके लिए अदालत हाजा में दावा किया गया है।

यहकि अप्रार्थी सं. 01 प्रार्थीनी का हिस्सा खत्म करने की चेष्टा में है जबकि उनको ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है मगर अप्रार्थी इस अनाधिकार पूर्ण पत्र की आड़ में प्रार्थीनी को वादगत कृषि भूमि में परिवर्तन करने की चेष्टा में है और उक्त वादगत कृषि भूमि में प्रार्थीनी अपने हिस्से पाड़ आदि करली है। तो इस मौके अप्रार्थी झगड़ा फसाद करने की तैयारी कर रखी है। प्रार्थीनी की माता एक कमजोर महिला है। इसलिये प्राथीनी के लिये आवश्यक हो गया कि जरिये जिकी हुक्म इस्तनाई अ[illegible] अप्रार्थी सं 01 प्रार्थीनी के हिस्से की कृषि भूमि पर बलपूर्वक कब्जा ना करे, वा[illegible] प्रार्थी[illegible] के हिस्से वा काश्त वा कब्जे काश्त में दखल करे जिसके लिये यह अस्थाई निषेधाज्ञा [illegible] किया जा रहा है।

यहकि वादगत कृषि [illegible] भूमि का खातेदार है और पैतृक कृषि भूमि होने के कारण अप्रार्थी सं. 01 अपनी सम्पूर्ण [illegible] भूमि किसी को बैचान, गिफ्ट, दान का कोई अधिकार नहीं है क्योंकि अपाथी से 01 के साथ प्रार्थीनी का इस कृषि भूमि में जन्म अर्थात

बाई बर्थ हिस्सा बनता है तथा प्रार्थीनी के हिस्से को किसी अन्य को देने का अपार्थी सं. 01 को कोई अधिकार नहीं है।

यहकि अप्रार्थी सं. 01 विवादित कृषि भूमि को किसी अन्य को हस्तान्तरण कर सकता है और भूमि किस्म बदल सकता है और इसका अप्रार्थी सं 01 को कोई कानूनी अधिकार प्राप्त नहीं है। मगर प्राथीनी की वादगत कृषि भूमि में परिवर्तन करने की चेष्टा में है विवाद करते तो इस कारण मौके पर झगडा फसाद करने की अपार्थी ने तैयारी कर रखी है तथा कब्जा को लेकर विवाद होने की पूर्ण सम्भावना है। अप्रार्थी प्रार्थीनी को उसका हिस्सा काष्त करने से रोकेगे जिससे प्रार्थीनी को अपूर्तिय क्षति होगी और ना पूरा होने वाला नुकसान होगा ऐसी स्थिति में ता फैसला वाद वादगत कृषि भूमि की मौका वा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखने का आदेश जारी किया जाना न्यायहित में आवश्यक हैं।

यहकि प्रथम दृष्टया मामला सुविधा का सतुलन वा अपूर्तिय क्षति का सिद्वान्त प्रार्थीनी के पक्ष में बखूबी साबित हैं।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ता फैसला वाद वर्जित किया जावे कि कृषि भूमि खसरा नम्बर 38 तादादी 0. 9106 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 671/19 तादादी 2. 3649 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 673/326 तादादी 0.5059 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 676/225 तादादी 3.1742 कुल किता 4 कुल तादादी 6.9556 हैक्टेयर अर्थात 27 बीघा 10 बिस्वा (550 बिस्वा) रोही रामदेवरा तहसील व जिला चूरू में प्रार्थीनी को उनका हिस्सा काश्त करने से ना रोक ना बेदखल करे तथा मौका वा रिकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। श्रीमानजी की बडी कृपा होगी।

प्रार्थी की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना--पत्र न्यायालय के क्षेत्राधिकार एवं श्रवणाधिकार का होने से दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। जिस पर अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया जो इस प्रकार है। दावा आधारहीन होने से वादीनी को सफलता मिलने की कोई सम्भावना नहीं है। प्रार्थना–पत्र में अंकित वंषवृक्ष सही नहीं है। वादीनी का वादगत कृषि भूमि पर कोई कब्जा काष्त नहीं रहा है व न खातेदार है एवं काल्पनिक हिस्सा की घोषित करवाये जाने का वादिनी को कोई हक एवं अधिकार हासिल नहीं है। वादगत सम्पति में वादिनी को प्रतिवादी के जीवनकाल में अलग कानून कायम नहीं करवाया जा सकता विधि के अनुसार विरासतन भूमि का इंतकाल दर्ज होता है खातेदार के जीवनकाल में उनके वारिसों का अलग से हिस्सा कायम नहीं करवाया जा सकता । वादीनी कभी काष्त नहीं करती थी जबकि वादीनी उद्येष्य प्रतिवादी का परेषान करने का है। वादगत भूमि पर प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है क्योंकि राजस्थान काष्तकारी अधिनियम में खातेदार के जीवनकाल में उसकी खातेदारी भूमि का अलग खाता विभाजन बाबात कोई कानूनी प्रावधान हीं है वादीनी न खातेदार है न ही वादीनी का वादगत कृषि भूमि पर कभी कब्जा रहा है इसलिए रकॉर्डेड खातेदारों के बिना वादिनी का किसी प्रकार का कोई अधिकार एवं हक नहीं बनने से किसी प्रकार का प्रथम दृष्टया मामला नहीं बनता है प्रतिवादी वादगत कृषि भूमि का खातेदार काष्तकार है। अन्तरिम स्थगन जारी होने से अप्रार्थी को [illegible] होने की संभावना है।

अतः जवाब अस्थाई नि[illegible] है कि वादिनी का प्रार्थना पत्र बिना आधार के कानूनी प्रावधान [illegible] जावें ।

जवाब के पश्चात् अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस सुनी गई। बहस में अधिवक्ता उभय पक्ष ने प्रार्थना–पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराया तथा अधिवक्ता प्रार्थी ने अन्तरिम स्थगन आदेश को

ता फैसला दावा किया जाने का अनुरोध किया जबकि अप्रार्थी अधिवक्ता की ओर से प्रार्थना–पत्र खारिज किया जावे।

बहस सुनी जाकर पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। जमाबंदी रोही मौजा रामदेवरा सम्वत् 2009 में खेत खसरा संख्या 17 में मेगा वल्द लाला कौम जाट कस्वां साकिन देह काष्तकार के रूप में दर्ज है। मिलान क्षेत्रफल के अनुसार खसरा नम्बर 18, 19, 38 का खसरा नम्बर 96, खसरा नम्बर 225 से 139, 138 निर्मित हुए है। जमाबंदी सम्वत 2021 के अनुसार खसरा नम्बर 17 में मेगा वल्द लाला खातेदार दर्ज है, जमाबंदी सम्वत् मेघा वल्द लाला कौम जाट कस्वां सा. देह खातेदार दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2032 से 2035 रोही ग्राम रामदेवरा में पन्नाराम, घड़सीराम पि. मेघा कौम जाट कस्वां सा. देह ब.बि.ब. खातेदार है। जमाबंदी सम्वत् 2038 में पन्नाराम वल्द मेघाराम कौम जाट कस्वां सादेह खातेदार दर्ज है। जमाबंदी सम्वत् 2047 से 2050 रोही ग्राम रामदेवरा में मीरा बेवाह पन्नाराम निराणाराम वल्द पन्नाराम नानी, शान्ति, विदूड़ी पुत्रीयां पन्नाराम कौम जाट सा. देह ब.हि.ब. खातेदार दर्ज है। नामान्तरण पंजिका ग्राम रामदेवरा तहसील चूरू जिला चूरू के अनुसार मेघा के फौत हो जाने से उसके तीन पुत्र रावता, पन्ना, घड़सी जायज वारीसान होने से तस्दीक किया गया है। जमाबंदी सम्वत् 2071–2074 रोही ग्राम रामदेवरा खसरा संख्या 38, 671/19, 673/326, 676/225 में हरिराम पुत्र निराणाराम खातेदार काश्तकार दर्ज है। प्रार्थना प्रस्तुत किये जाने के पश्चात् आज दिनांक तक उक्त प्रार्थना पत्र में स्थगन बढाये जाने का निवेदन नहीं किया अन्तरिम स्थगन आदेश के कारण अप्रार्थीगण को हानी हो रही है तथा अप्रार्थी गण उक्त वादगत भूमि के रिकॉर्डेड काश्तकार है जिनसे इनके हितो पर विपतरी असर पड़ने की संभावना है।

वादिनी द्वारा स्थगन आदेश (interim injunction) के लिए प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर पक्षकारों के अधिवक्ताओं की बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड, दलीलों एवं प्रस्तुत तथ्यों का अवलोकन किया गया।

पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों के अवलोकन एवं अधिवक्ता उभय पक्ष की बहस पर मनन से यह निष्कर्ष निकलता है वादिनी द्वारा यह कहा गया कि वादग्रस्त भूमि पैतृक सम्पत्ति है तथा उसमें उसका जन्मसिद्ध हिस्सा (by birth share) हैं, अतः उसे उक्त भूमि में हिस्सा काश्त करने से न रोका जाए तथा यथास्थिति बनाये रखी जाए वहीं, अप्रार्थी संख्या 01 की ओर से प्रस्तुत जवाब में यह तर्क रखा गया कि वादिनी वर्तमान खातेदार नहीं है, उक्त भूमि पर उसका कभी कोई वास्तविक कब्जा नहीं रहा, वादी द्वारा प्रस्तुत वारिसाना दावे के आधार पर वर्तमान खातेदार के जीवनकाल में अलग हिस्सा कायम नहीं किया जा सकता, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के अनुसार, जीवनकाल में खातेदार की भूमि का अलग खाता विभाजन (partition) नहीं किया जा सकता, प्रस्तुत प्रार्थना पत्र प्रथम दृष्टया स्वीकार्य नहीं है, अतः अंतरिम स्थगन आदेश वाजिब नहीं हैं।

अदालत द्वारा यह पाया गया कि वादिनी खातेदारी रिकार्ड में वर्तमान में कहीं दर्ज नहीं है। वादिनी द्वारा स्थायी निषे[illegible]ई है, परंतु वादिनी का भूमि पर कब्जा, काश्त या खातेदारी अधिकार प्रारंभिक [illegible]माणित नहीं होता है। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत तथ्यों से यह स्पष्ट नहीं होता [illegible] कोई प्रत्यक्ष हक अथवा कब्जा है। वादिनी की ओर [illegible] वंश परपरा और अनुमानित हिस्से के आधार पर है, जिसकी वैधता अंतिम निर्णय के [illegible] ही तय की जा सकती है। प्रथम दृष्टया (prima facie) मामला वादिनी के पक्ष में नहीं बनता है। स्थगन आदेश से वर्तमान खातेदार को भूमि उपयोग में अपूरणीय क्षति पहुँचने की संभावना है, जबकि वादी की ओर से ऐसी कोई

तात्कालिक क्षति प्रमाणित नहीं की गई है, जो स्थगन जारी न होने पर हो। अतः, न्यायहित में यह उचित नहीं है कि अप्रार्थी को उनकी रिकॉर्डेड खातेदारी भूमि से रोका जाए।

आदेश

वादिनी द्वारा प्रस्तुत अस्थायी निषेधाज्ञा हेतु प्रार्थना–पत्र निराधार एवं विधिसम्मत कारणों के अभाव में अस्वीकृत किया जाता है। मूल वाद पर कार्यवाही नियमानुसार अग्रिम तिथि पर जारी रखी जाए। अप्रार्थी संख्या 01 करे आदेशित किया जाता है कि मूल वाद के निर्णय तक वादीनी निहारिका के पैतृक हिस्सा (नोशनल शेयर) को किसी भी तरीके से विक्रय, दान, रहन इत्यादि से खुर्द बुर्द न करें।

आदेश आज दिनांक 27.05.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बिजेन्द्रसिंह)RAS
उपखण्ड अधिकारी, चूरू